

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला-उदयपुर

प्रार्थी :- श्री भरत

विपक्षी :- श्री छगनलाल

किस्म मुकदमा - 53,188 रा.का.अ.

पत्रावली संख्या : 36/21

क्रमांक	कार्यवाही विवरण					हस्ताक्षर वादी को सुनाने की तिथि
	<p>दिनांक : 27.12.2022</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित। तहसीलदार मावली से पीडी पालना प्राप्त, शामिल फाईल रहे। विद्वान अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा पीडी पालना पर सहमत होकर अन्तिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया।</p> <p>हमने प्रकरण का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी द्वारा पीडी पालना पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना पर सहमति व्यक्त कर मौके पर काश्तकारों के आने जाने के लिए रास्ते की भी सहूलियत होना बताकर प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु सहमत हैं। प्रतिवादी सं. 1 से 10 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। वादी द्वारा पीडी पालना पर सहमत होने से वाद वादी स्वीकार योग्य पाया जाता है। वादी से बंटवाडा शुल्क 100/- अक्षरे एक सौ रुपये स्टाम्प वसूल कर शामिल फाईल किया जावे।</p> <p>परिणामस्वरूप वादी का वाद स्वीकार किया जाता है कि मौजा मांगथला पटवार हल्का मांगथला की निम्न आराजीयात का बंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता है :-</p>					
क्र	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान	
1	भरत पुत्र प्रताप 8/11 जाति धोबी सा. देह भंवरलाल पुत्र गणेशलाल 3/11 जाति मेघवाल सा. धोलीमगरी खातेदार	2555/2	0.0297	बीड	0.06	
	योग	किता 01	0.0297	-	0.06	
2	कना पुत्र तेजा 2/65 केशीबाई पत्नी तेजा 2/65 छगन पुत्र तेजा 2/65 पोखर पुत्र तेजा 2/65 वाला पुत्र तेजा 2/65 जाति बलाई सा. देह छगनलाल पुत्र गणेश 3/13 बासटबाई पुत्री गणेश 3/13 राधीबाई पत्नी गणेश 3/13 जाति बलाई सा. देह भीमा पुत्र उदा 2/13 जाति बलाई सा. देह खातेदार	2555/1	0.0350	बीड	0.07	
	योग	किता 1	0.0350	-	0.07	
<p>नोट- उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(श्रीकान्त व्यास) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>						



अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला-उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S

मुकदमा नम्बर : 36/21 (वाद)

उनवान

1. श्री भरत पिता प्रताप धोबी निवासी घासा तह. मावली।

.....वादी

बनाम

1. श्री छगनलाल पिता गणेशलाल बलाई निवासी मांगथला तह. मावली।
2. श्री दिनेश पिता गणेशलाल बलाई निवासी मांगथला तह. मावली।
3. बासटबाई पुत्री गणेशलाल बलाई निवासी मांगथला तह. मावली।
4. श्रीमती राधीबाई पत्नी गणेशलाल बलाई निवासी मांगथला तह. मावली।
5. श्री कना पिता तेजा बलाई निवासी मांगथला तह. मावली।
6. श्री छगन पिता तेजा बलाई निवासी मांगथला तह. मावली।
7. श्री वाला पिता तेजा बलाई निवासी मांगथला तह. मावली।
8. श्री पोखर पिता तेजा बलाई निवासी मांगथला तह. मावली।
9. मु. केशीबाई पत्नी तेजा बलाई निवासी मांगथला तह. मावली।
10. श्री भीमा पिता उदा बलाई निवासी मांगथला तह. मावली।
11. भूमिधारी राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 27.12.2022 को श्रीकान्त व्यास, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा मांगथला पटवार हल्का मांगथला की निम्न आराजियात का बटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र.	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	भरत पुत्र प्रताप 8/11 जाति धोबी सा. देह भंवरलाल पुत्र गणेशलाल 3/11 जाति मेघवाल सा. धोलीमगरी खातेदार	2555/2	0.0297	बीड	0.06
	योग	किता 01	0.0297	—	0.06
2	कना पुत्र तेजा 2/65 केशीबाई पत्नी तेजा 2/65 छगन पुत्र तेजा 2/65 पोखर पुत्र तेजा 2/65 वाला पुत्र तेजा 2/65 जाति बलाई सा. देह छगनलाल पुत्र गणेश 3/13 बासटबाई पुत्री गणेश 3/13 राधीबाई पत्नी गणेश 3/13 जाति बलाई सा. देह भीमा पुत्र उदा 2/13 जाति बलाई सा. देह खातेदार	2555/1	0.0350	बीड	0.07
	योग	किता 1	0.0350	—	0.07

नोट-उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 27.12.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली